प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

आवंटन
आयोजनेत्तर–अनुदान सं0–14
तेरह अंको का कोड–2515008000600

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी,
जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक,
पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0।

संख्या 1/शा0/12/2014–1/16/2014 : लखनऊ: दिनांक 25 अप्रैल, 2014

विषय:–चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में अनुदान संख्या–14 के अधीन लेखाशीर्षक 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम 800–अन्य व्यय–06–जिला परिषद् अनुश्रवण कोष्ठक के अन्तर्गत व्यय हेतु धनराशि के सापेक्ष लेखानुदान अवधि (माह अप्रैल, 2014 से जुलाई, 2014 तक) का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव पंचायतीराज उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–749/33 3–2014–35/2014, दिनांक 04 अप्रैल, 2014 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में जिला परिषद् अनुश्रवण कोष्ठक के अधिष्ठान मद के सापेक्ष लेखानुदान अवधि (माह अप्रैल, 2014 से जुलाई, 2014 तक) संलग्न विवरण के अनुसार **₹ 2180000/– (₹ इक्कीस लाख अस्सी हजार मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन आवंटित की जाती है:–

1– आवंटित की जा रही धनराशि के व्यय के संबंध में वित्त (आय–व्ययक), अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–795/दस 2014–231/2014, दिनांक 14 मार्च, 2014 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि धनराशियों का व्यय प्रतिमाह कुल धनराशि का 1/4 भाग ही हो। यदि किसी माह में 1/4 भाग से अधिक की धनराशि के व्यय का औचित्य पाया जाय तो उस धनराशि के व्यय करने से पूर्व विभागाध्यक्ष की अनुमति प्राप्त की जाय। संलग्न सूची के अनुसार अधिक का व्यय न किया जाय।

3– धनराशि के कोषागार से आहरण की फेजिंग स्वीकृत आदेश में समावेश सुनिश्चित किया जायेगा। जो सामान्यतः दो माह की आवश्यकता से अधिक नहीं होगी।

4– आवंटित की जा रही धनराशि का आवंटन (एलाटमेण्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो तो, उन मामलों में व्यय के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5 शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का विशेष रूप से पालन किया जाय।

6– उपर्युक्त पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या–14 के अधीन लेखाशीर्षक 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–800– अन्य व्यय–06–जिला परिषद् अनुश्रवण कोष्ठक के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदो के नामे डाला जायेगा।

7 नियमानुसार अनुमन्य धनराशि ही वेतन मद में आहरित की जाय। गलत तथा अधिक आहरण के लिये आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें।

8– कोषागार से आहरित धनराशि का विवरण प्रत्येक माह निर्धारित प्रपत्र बी0एम0–4 में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाये। बी0एम0–4 पर बने सभी कालम अवश्य भरे जाय तथा विवरण में कोषागार वाऊचर संख्या तथा दिनांक एवं धनराशि का उल्लेख अवश्य किया जाये,

9– यदि बी0एम0–4 में सूचना नहीं भेजी जाती है तो गबन आदि को कोई भी घटना होने पर संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से सीधे जिम्मेदार होगें।

10– यदि किसी मद में धनराशि समर्पित की जानी है तो संबंधित कोषागार का प्रमाण–पत्र नोट कराना आवश्यक होगा।

कृ0पृ0उ0

11– एक बार धनराशि समर्पित किये जाने के बाद नियमानुसार निदेशक की लिखित स्वीकृति के बिना उस धनराशि को कोषागार से आहरित न किया जाय; अतः यदि समर्पण के बाद बिना अनुमति के कोई धनराशि कोषागार से आहरित की जाती है तो उसके लिये आहरण वितरण अधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

12– यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि आहरित धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही मुख्य, उप–मुख्य लघु, विस्तृत लेखाशीर्षक अवश्य अंकित किया जाये ताकि महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा न हो एवं प्रत्येक बिल के ऊपर दाहिनी ओर लाल स्याही से आयोजनेत्तर शब्द अवश्य अंकित किया जाये जिसके लिये रबर की मोहर अधिक श्रेयस्कर होगी।

13 सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी आवंटित धनराशि के व्यय का लेखा जोखा रखेंगे तथा व्यय की सूचना निम्नलिखित तिथि तक लेखा एवं बजट अनुभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे

14– कोषागार से आहरित धनराशि का मासिक विवरण बी0एम0–4 पर तथा कोषागार द्वारा उपलब्ध कराया गया रिकन्सिलियेशन स्टेटमेन्ट आगामी माह की 5 तारीख तक अनिवार्य रूप से लेखा एवं बजट अनुभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या–36 पर अंकित है

संलग्नक उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

निदेशक,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

संख्या: 1/शा0/ 12– /1/2014 तददिनांक।
प्रतिलिपि **निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः**

1 प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश
2–प्रमुख सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन।
3 महालेखाकार सी0पी0 सी0–2 उ0प्र0 इलाहाबाद।
4 महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम उ0प्र0इलाहाबाद।
5–वरिष्ठ उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15–ए, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0 इलाहाबाद।
6–मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7–उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ, लखनऊ।
8–तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

(शहजाद अहमद अन्सारी)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश।

Print Report

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष-2014-2015
आवंटन दिनांक-25/04/2014

प्रेषण संख्या:- 1-sha-12-2014-1-16-2014
आवंटन आदेश संख्या:- 001-16-2014
अनुदान संख्या:- 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2014-2015 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनेतर-मतदेय)

800 - अन्य व्यय
06 - जिला परिषद् अनुश्रवण कोष्ठक

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		01-वेतन	03-महंगाई भत्ता	04 यात्रा व्यय	06-अन्य भत्ते	08-कार्यालय व्यय	09-विद्युत देय	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	13-टेलीफोन पर व्यय	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	17-किराया, उपशुल्क और कर स्वामिस्व	45-अवकाश यात्रा व्यय	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	49-चिकित्सा व्यय	51-वर्दी व्यय	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-2287-निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0, लखनऊ-02-जिला पंचायत अनु0 कोष्ठक	वर्तमान प्रगामी	910000 910000	956000 956000	4000 4000	91000 91000	17000 17000	17000 17000	17000 17000	8000 8000	8000 8000	50000 50000	42000 42000	5000 5000	20000 20000	33000 33000	2000 2000	2180000 2180000
	योग	वर्तमान प्रगामी	910000 910000	956000 956000	4000 4000	91000 91000	17000 17000	17000 17000	17000 17000	8000 8000	8000 8000	50000 50000	42000 42000	5000 5000	20000 20000	33000 33000	2000 2000	2180000 2180000

महायोग (वर्तमान आवंटन):- रुपया इक्कीस लाख अस्सी हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन) - रुपया इक्कीस लाख अस्सी हजार

शहजाद अहमद अन्सारी
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी